

**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।**

Confiscation Case No. -27/2023-24

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा बनाम अज्ञात।

**आदेश**

19/1/2024  
यह वाद पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-2099/अप0शा0, दिनांक-29.12.2023 द्वारा नाला थाना काण्ड संख्या-89/2023 दिनांक-23.11.2023 में जप्त करीब 20 (बीस) टन कच्चा कोयला को अधिग्रहण किये जाने की अनुरोध पर दायर है।

उक्त वाद में नाला थाना काण्ड संख्या-89/2023 दिनांक-23.11.2023 में प्राथमिकी अभियुक्त अज्ञात है। उक्त कांड में जप्त करीब 20 (बीस) टन कच्चा कोयला को विधिवत जप्त कर सुरक्षा नाला थाना परिसर में रखा गया है।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(v) "Any Minerals, tool, equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के अनुसार उक्त कांड में जप्त 20 (बीस) टन कच्चा कोयला कच्चा कोयला का राजसात की कार्रवाई किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(v) के तहत पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-2099/अप0शा0, दिनांक-29.12.2023 द्वारा नाला थाना काण्ड संख्या-89/2023 दिनांक-23.11.2023 में जप्त करीब 20 (बीस) टन कच्चा कोयला को अधिग्रहण (Confiscation) किया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी जामताड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे जप्त करीब 20 (बीस) टन कच्चा कोयला को नियमानुसार निलाम करने के पश्चात् प्राप्त राशि जिला कोषागार जामताड़ा में संगत शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,  
जामताड़ा

उपायुक्त,  
जामताड़ा।